# अध्याय-V: गुणवत्ता आश्वासन एवं निगरानी

## 5.1 गुणवत्ता आश्वासन

गुणवत्ता आश्वासन जिसमें सामग्री एवं कार्यकुशलता की जाँच एवं निरीक्षण सम्मिलित है, लोक निर्माण परियोजनाओं में उनके विस्तृत एवं जटिल नेटवर्क तथा सार्वजनिक निधियों की बड़ी धनराशि की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष अनुवर्ती पैराग्राफों में दिए गए हैं।

### 5.1.1 तृतीय पक्ष निरीक्षण का प्रावधान नहीं होना

सीसीएस नोट 2010 के अनुसार, योजना की गुणवत्ता एवं सामयिक समापन को सुनिश्चित करने के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण का प्रावधान किया जाना था। लेखापरीक्षा ने देखा कि न तो गृह मंत्रालय और न ही निष्पादन अभिकरणों ने ऐसा कोई प्रावधान किया। एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष निरीक्षण के अभाव में सभी निष्पादन अभिकरणों द्वारा निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता को सत्यापित नहीं किया जा सका।

गृह मंत्रालय ने सूचित किया (दिसंबर 2021) कि गृह मंत्रालय द्वारा तृतीय पक्ष निरीक्षण के प्रावधान पर विचार किया जा रहा है। उपरोक्त हेतु राज्य सरकारों से राय भी ली गई है।

### 5.1.2 सामग्रियों की अनिवार्य गुणवत्ता जाँच

**उत्तर प्रदेश**: एमओआरटीएच की मानक डाटा पुस्तक की धारा 900 सड़क निर्माण कार्य हेतु विभिन्न प्रकार के जांच को निर्धारित करती है। आगे, एसजीओयूपी अनुदेश (अगस्त 1996) के अनुसार, कुल नमूनों में से 25 *प्रतिशत* नमूनों को निरीक्षण विकास एवं गुणवत्ता वर्धन प्रकोष्ट (क्यूपीसी), लखनऊ को, 25 *प्रतिशत* नमूनों को क्षेत्रीय प्रयोगशाला तथा शेष 50 *प्रतिशत* जांच नमूनों को जिला प्रयोगशाला को जांच हेतु भेजा जाएगा तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाएगा। यदि जिला प्रयोगशाला उपलब्ध ना हो तो नमूनों को क्षेत्रीय प्रयोगशाला/क्यूपीसी को भेजा जाएगा। लेखापरीक्षा ने, हालांकि, की जाने वाली जांचों में कमी को देखा (दिसंबर 2019 तक) जैसा कि **तालिका सं.10** में दिया गया है।

**तालिका सं. 10: की जाने वाली आवश्यक जांचों के प्रति कमी**

| क्र. सं. | सड़क स्तर | की जाने वाली जांच की सं. | की गई जांच की सं. | कमी (*प्रतिशत*) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मिट्टी खुदाई | 24,125 | 5,328 | 18,797 (78) |
| 2 | कणिकीय उप नींव (जीएसबी) | 3,595 | 2,180 | 1,415(39) |
| 3 | मिश्रित गीली रोड़ी/जल से जुड़ी रोड़ी (डब्ल्यूएमएम/डब्ल्यूबीएम) | 6,037 | 2,630 | 3,407(56) |
| 4 | सघन बिटुमिनस रोड़ी/बिटुमिनस कंक्रीट (डीबीएम/बीसी) | 3,906 | 2,800 | 1,106(28) |
| 5 | शुष्क पतली कंक्रीट (डीएलसी) | 6,686 | 595 | 6,091(91) |

*स्रोत: एमओआरटीएच विनिर्देश एवं पीडब्ल्यूडी प्रभाग*

जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि जांचों की सर्वाधिक कमी "डीएलसी" में तथा उसके बाद "मिट्टी खुदाई" में थी। आगे, क्यूपीसी एवं आरआई को भेजे जाने वाले आवश्यक 50 *प्रतिशत* नमूनों के मानक के प्रति केवल 0.58 *प्रतिशत* नमूनों को भेजा गया तथा जांच हेतु जिला प्रयोगशाला को कोई नमूना नहीं भेजा गया।

एसजीओयूपी ने बताया (जनवरी 2020) कि एमओआरटीएच की धारा 900 के अनुसार जहां तक संभव हो जांच कार्यस्थल पर ही की गई थी। गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए तृतीय पक्ष जांच तथा क्यूपीसी पर भी जांच की गई थी।

उत्तर मान्य नहीं है, चूंकि सीई, आईएनबी ने एक लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर देने के दौरान स्वीकार किया (जून 2019) कि तृतीय पक्ष निरीक्षण नहीं किए गए थे। आगे, विभाग अपने आप को अगस्त 1996 में एसजीओयूपी द्वारा जारी आदेश में निर्धारित अनुदेशों की शर्तों में की जाने वाली अनिवार्य जांच की प्राथमिक जिम्मेदारी से विमुक्त नहीं कर सकता है जैसा कि क्यूपीसी लखनऊ पर की गई जांच में लगभग 100 *प्रतिशत* की कमी थी। ठेकेदारों की कार्यस्थल प्रयोगशालाओं पर की गई जांचों पर पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता है।

अतः गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करने हेतु नियमों एवं आदेशों के अननुपालन से यूपीपीडब्ल्यूडी द्वारा निष्पादित सड़क कार्य की गुणवत्ता अवमानक कार्य के जोखिम से भरपूर था।

गृह मंत्रालय ने बताया (दिसंबर 2021) कि कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता की निगरानी राज्य पीडब्ल्यूडी द्वारा की जा रही है तथा गृह मंत्रालय एवं एसएसबी को रिपोर्ट की जा रही है। राज्य निष्पादन अभिकरणों ने गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु संविदा प्रावधान के अनुसार दिन-प्रतिदिन जांच करने हेतु कार्यस्थलों पर जांच प्रयोगशालाएं संस्थापित की है। राज्य स्तरीय कार्यात्मक प्रयोगशाला में उनके प्रभाग स्तर पर भी जाँच की जाती है। कार्यकारी अभिकरणों द्वारा सख्त पर्यवेक्षण एवं नियमित जाँच संचालन कार्य की गुणवत्ता की निगरानी की जाती है।

गृह मंत्रालय ने उत्तर में लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गये विशिष्ट मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने आईएनबी की सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता जांच के संबंध में कोई निगरानी प्रपत्र तैयार नहीं किया।

### 5.1.3 परियोजना की निगरानी

**केन्द्रीय स्तर:** सुरक्षा पर केबिनेट समिति के नोट (सितंबर 2010) में परिकल्पित है कि कार्यान्वयन की प्रगति को अर्धवार्षिक आधार पर कैबिनेट सचिवालय को सूचित किया जाएगा। प्रगति रिपोर्ट हालांकि, कैबिनेट सचिवालय को केवल दो अवसरों अर्थात 15 नवंबर 2018 एवं 30 अक्तूबर 2019 पर प्रस्तुत की गई थी। फिर भी, लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना की निगरानी विभिन्न स्तरों[53] पर गृह मंत्रालय द्वारा आवधिक तौर पर की गई। गृह मंत्रालय ने बताया (दिसंबर 2020) कि परियोजना की विभिन्न स्तरों पर गृह मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

**राज्य स्तर**: एसजीओयूपी आदेश (मई 1999) संबंधित अधीक्षण अभियंता (एसई) एवं मुख्य अभियंता (सीई) को उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निष्पादित होने वाले निर्माण कार्यों के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु उत्तरदायी बनाता है। तदनुसार, एसई तथा सीई को उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निष्पादित सभी कार्यों की जांच क्रमशः छः महीनों में तथा एक वर्ष में एक बार करनी थी।

---

[53] माननीय गृहमंत्री द्वारा समीक्षा, सचिव (बीएम) की अध्यक्षता में संचालन समिति, संयुक्त सचिव द्वारा समीक्षा एवं मंत्रालय में अधिकारियों द्वारा भौतिक निरीक्षण

2014-15 से 2019-20 (दिसंबर 2019 तक) के दौरान सीई एवं एसई द्वारा कार्यों की निगरानी की स्थिति **तालिका सं. 11** में दी गई है।

**तालिका सं. 11: 2014-20 के दौरान सीई एवं एसई द्वारा कार्यों की निगरानी**

| प्राधिकारी | आवश्यक निरीक्षण | किए गए निरीक्षण | कमी |
|---|---|---|---|
| **सीई** | 12 कार्यों के 56 निरीक्षण | छः कार्यों के 8 निरीक्षण | 86 *प्रतिशत* |
| **एसई** | 12 कार्यों के 124 निरीक्षण | 12 कार्यों के 21 निरीक्षण | 83 *प्रतिशत* |

*स्रोत: सीई, एसई एवं सात प्रभाग*

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है सीई एवं एसई द्वारा कार्यक्षेत्र निरीक्षणों में पर्याप्त कमी थी तथा वास्तव में बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती तथा सिद्धार्थनगर आईएनबी प्रभागों में छः सड़कें[54] सीई द्वारा अनिरीक्षित रही। यह ना केवल आदेशों के विरूद्ध था अपितु सीई की ओर से खराब निगरानी का सूचक भी था।

एसजीओयूपी ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि जहां तक संभव था निरीक्षण किए गए तथा सभी अधिकारियों को मानदंडों के अनुसार कार्यों के निरीक्षण करने के अनुदेश दिए गए। तथ्य यह है कि सीई एवं एसई द्वारा निरीक्षण में पर्याप्त कमी ने संभवतः देरी तथा निर्माण की गुणवत्ता को प्रश्नयोग्य बनाने में योगदान दिया।

[54] *कंचनपुर गन्धेलनाका* सड़क (7.475 कि.मी.) *पलियाघाट* से *बारसोला सड़क* (*गौरीफंटा* से *चंदन चौकी* 30.950 कि.मी.), *काकरधारी* से *तारसोमा* तथा *भरता-गुज्जरगौरी* सड़क (13.00 कि.मी.), *जमुनहा* से *काकरधारी* (8.7200 कि.मी.) *मलगहिया हरबंशपुर* सड़क से होकर *बरहनी पकरहिवा* सड़क (31.350 कि.मी.) तथा *मलगहिया हरबंशपुर* सड़क से होकर *करामईनी रामनगर* (28.900 कि.मी.) का निर्माण।